IJAER/March-April 2021 /Volume-10/Issue 5 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

महिला सशक्तिकरण एकः सामाजिक अध्ययन

Sarika Tyagi
Ph.D. Scholar
Department of Sociology
Malwanchal University Indore, (M.P.).

Dr. Dharmveer Mahajan
Supervisor
Department of Sociology
Malwanchal University Indore, (M.P.).

सार

महिला सशक्तीकरण की भूमिका हमेशा शिक्षा से संबंधित हैस वास्तव में महिलायों के लिए उच्च शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यहाँ पं.जवाहर लाल नेहरु द्वारा कहा गया मशहूर वाक्य "लोगों को जगाने के लिये", महिलाओं का जागृत होना जरुरी है। भारत में, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी दक्यानुसी सोच, राक्षसी सोच को मारना जरुरी है जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हि ंसा, असमानता, भ्रूण–हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वैश्यावृति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय। महिला सशक्तिकरण, समृद्धि, विकास और कल्याण के लिए शिक्षा एक प्रमुख कारक है। शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो अन्य शक्तियों का आधार है। समय के साथ परिस्थितियों में कुछ बदलाव अवश्य आया है। स्वतंत्रता के बाद की बदलती हुई परिस्थितियों में महिलाओं के शिक्षा, कैरियर और रोजगार के अवसरो में काफी वृद्धि हुई है। अतः हम कह सकते है कि आज की अशिक्षित नारी को शिक्षित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास होने चाहिए। यदि महिला सशक्तिकरण को विकसित करना है तो इसे केवल शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढाया जा सकता है।

परिचय

भारतीय संविधान, प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों तथा निर्देशक सिद्धांत में यथा–निहित अनुसार सभी ¯ लगों को समान अधिकार देता है। भारत में महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने और कानून के तहत समान सुरक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। संविधान महिलाओं को न केवल समानता प्रदान करता है, अपितु महिलाओं के संचयी सामाजिक–आख्थक तथा राजनैतिक नुकसानों को समाप्त करने के लिए महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने के

लिए राज्य को अधिकृत भी करता है। यह महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल प्रथाओं को समाप्त करने का मौलिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक पर डालता है।

महिलाओं का सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है, जिससे महिलाएं जीवन के आख्थक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्राों में समान अवसर प्राप्त करने तथा अपनी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए अपने अधिकारों का दावा कर पाती हैं। इस प्रक्रिया के साथ सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की सामर्थ्य के साथ घर के अंदर और बाहर निर्णय लेने में उनकी स्वतंत्राता जुड़ी होनी चाहिए। महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंत्राालय द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण

जब मैं बड़ी हो रही थी तो भारत आज़ादी के लिए लड़ रहा था और आज़ाद राष्ट्र बन रहा था। युवावस्था में हमने राष्ट्र के पुनर्निर्माण की, अपने जीवन के पुनर्निर्माण की प्रतिज्ञा की थी ताकि प्रत्येक भारतीय आज़ादी का आनंद उठा सके। महात्मा गांधीजी हमें रास्ता दिखा चुके थे। वह व्यक्तिगत स्वच्छता को राजनीतिक स्वतंत्राता के बराबर ही मानते थे। उनके लिए शौचालयों और गांवों के तालाबों की स्वच्छता भी आत्मा की मुक्ति जितनी ही महत्वपूर्ण थी। हम अर्थव्यवस्था को जनता के दृष्टिकोण से देखना सीख चुके थे। उनके विचार मेरे लिए और सेवा के लिए मार्गदर्शक रहे हैं। पहला विचार है सरलता क्योंकि हम समझ गए कि प्रगति का मतलब जटिलता बढ़ाना नहीं है। दूसरा है अहिंसा। हिंसा मूल रूप से ही आज़ादी के साथ नहीं चल सकती। तीसरा है श्रम की गरिमा, श्रम की शुद्धता। श्रम प्रवृफति का नियम है और इसका उल्लंघन ही वर्तमान आर्थिक दुरावस्था का मुख्य कारण है। चौथा है मानवीय मूल्य–व्यक्ति की मानवता का क्षरण करने वाला कुछ भी स्वीकार्य नहीं...। सरलता, अहिंसा, श्रम की शु(ता और मानव मूल्यों के इन चार स्तंभों पर ही हमें भारत की अर्थव्यवस्था गढ़ने का निर्देश मिला।

चूंकि विचारों में मनुष्य ही केंद्रीय तत्व है, इसीलिए सेवा में हमने धीरे–धीरे विकास के विचार को सर्वांगीण एवं अखंड रूप में समझा। विकास, ;जिसे हम रचनात्मक कार्य कहते हैंद्ध, को समझकर हम अपनी प्रत्येक गतिविधि को स्वयं पर, समाज पर और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव से जोड़ते हैं और इस प्रकार जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बन जाते हैं। यही संबंध हमारे सेवा और सेवा आंदोलन का आधार रहा है। किंतु मेरे हृदय के सबसे करीब है कार्य। मैं कार्य अर्थात् 'कर्म' को मनुष्य के जीवन के केंद्र में मानूंगी। कार्य, रचनात्मक कार्य से ही विकास और वृद्धि होती है। गरीब महिलाओं के साथ कार्य करते हुए हमने देखा है कि वह कार्य उनके जीवन के केंद्र में होता है। कार्य ही उनके जीवन को अर्थ प्रदान करता है। कार्य

व्यक्ति की पहचान बनाता है। कार्य आजीविका प्रदान करता है, जिससे वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पाद होता है और इस प्रकार समाज बनता है, राष्ट्र निर्माण होता है। किंतु गरीबी संतुलन बिगाड़ देती है। हम प्रत्येक चरण में शोषण देखते हैं: व्यक्ति का शोषण, समुदाय का शोषण और पर्यावरण, प्रवृफति का शोषण। हम मानते हैं कि गरीबी में प्रत्येक चरण पर भेदभाव होता है, जिसका कारण वर्ग, जाति, रंग, धर्म, भूस्वामित्व, लिंग, भाषा आदि कुछ भी हो सकता है। परिणामस्वरूप सभी प्रकार का जोखिम होता है: आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, आत्मिक।

लोग अपनी आस्था खो बैठते हैं और वे भ्रामक आस्था से जुड़ जाते हैं। गरीबी एक प्रकार की हिंसा है, जो समाज की सहमति से होती है। गरीबी और स्वतंत्राता का हनन अलग–अलग नहीं हैं। कोई भी देश अपनी आज़ादी का उतना ही आनंद उठा सकता है, जितना उसका नागरिक अपने अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। यह निष्कर्ष गरीब महिलाओं के साथ काम करने के मेरे अनुभवों पर आधारित है। इसलिए महिलाओं के नेतृत्व में ही सपफलता निहित है। सेवा में जिन महिलाओं के साथ हम काम करते हैं, वे सबसे अधिक जोखिम में हो सकती हैं, लेकिन समूह की ताकत उन्हें मजबूत बनाती है। हम काम के कारण मिलते हैं और नेटवर्क तैयार करते हैं। हम अपने काम से जुड़ी जरूरतें पूरी करने के लिए, व्यापारियों, ठेकेदारों, अपनी सरकारों, वैश्विक समुदाय तथा 'व्यवस्था' और' लगता है कि यदि हम लोगों को इन विकास लक्ष्यों से जोड़ना चाहते हैं तो हमें अलग किस्म की भाषा की जरूरत है। सत्ता की भाषा शक्तिहीनता की बात ही नहीं करती। गरीबी भी एक प्रकार की शक्तिहीनता ही है। यह उन लोगों की लक्षण है, जिनका निर्णय प्रक्रिया पर कोई नियंत्राण नहीं होता अथवा संसाधनों तक जितनी पहुंच नहीं होती। प्रतिभागिता अथवा परामर्श से गरीबी की अशक्तता पर मामूली प्रभाव ही पड़ता है।

महिला और शिक्षा

हमारा समाज पुरुष शासित है। यहाँ माना जाता है कि पुरुष बाहर जाएँ तथा अपने परिवारों के लिए कमाएँ। महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे घर में रहें और परिवार की देखभाल करें। पहले इस व्यवस्था का समाज में सख्ती से पालन किया जाता था। आज भी थोड़ी–बहुत ऐसी मानसिकता देखी जा सकती है। जनसँख्या के मामले में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है और भारत में लड़कियों की शिक्षा की दर बहुत कम है। इस कारण नारीओं की शिक्षा को बहुत क्षति हुई । उन्हें अध्ययन के लिए बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। नारी की शिक्षा को अनुपयोगी समझा जाता था।

भारत में प्राचीन काल से ही एक बालिका को अक्सर एक दायित्व, एक बोझ के रूप में देखा जाता है। पितृसत्तात्मक समाज के प्रचलित प्रभाव को देखते हुए उनके जन्म से ही, बहुत सी लड़कियों को लैंगिक

असमानता, लैंगिक रूढ़ियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है और लड़कों की तुलना में उनके साथ हीन व्यवहार किया जाता है।

लड़कियों की वर्तमान स्थिति –

परंतु, अब समय बदल गया है। सामाजिक परिस्थितियाँ और आवश्यकताएँ बदल गई हैं। हमारा देश विकसित देश बनने की दौर में है। अब नारी–शिक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती। हमारी लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। इसलिए लड़कों के साथसाथ उनकी शिक्षा समान रूप से महत्त्वपूर्ण हो जाती है। किसी नारी को शिक्षित करने के बहुत–से लाभ हैं। वह परिवार की देखभाल करती है। यदि वह शिक्षित है तो वह घर पर वित्त की व्यवस्था कर सकती है अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती है। वह अपने बच्चों को पढ़ा सकती है। मुद्रा–स्फीति दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आजकल सिर्फ एक व्यक्ति की आय से ही घर को चलाना अत्यंत कठिन है। अतएव, वह इस ओर भी योगदान कर सकती है।

लड़कियों की शिक्षा का महत्व

देश के भविष्य के लिए भारत में लड़कियों की शिक्षा आवश्यक है क्योंकि महिलायें अपने बच्चों की पहली शिक्षक हैं जो देश का भविष्य हैं। अशिक्षित महिलाएं परिवार के प्रबंधन में योगदान नहीं दे सकती और बच्चों की उचित देखभाल करने में नाकाम रहती हैं। इस प्रकार भविष्य की पीढ़ी कमजोर हो सकती है। लड़कियों की शिक्षा में कई फायदे हैं। एक सुशिक्षित और सुशोभित लड़की देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक शिक्षित लड़की विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के काम और बोझ को साझा कर सकती है। एक शिक्षित लड़की की अगर कम उम्र में शादी नहीं की गई तो वह लेखक, शिक्षक, वकील, डॉक्टर और वैज्ञानिक के रूप में देश की सेवा कर सकती हैं। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन कर सकती है।

शिक्षित लड़कियाँ बच्चों में अच्छे गुण प्रदान करके परिवार के प्रत्येक मेंबर को उत्तरदायी बना सकती हैं। शिक्षित महिला सामाजिक कार्यकलापों में भाग ले सकती हैं और यह सामाजिक–आर्थिक रूप से स्वस्थ राष्ट्र के लिए एक बड़ा योगदान हो सकता है। एक आदमी को शिक्षित करके केवल राष्ट्र का कुछ हिस्सा शिक्षित किया जा सकता है जबकि एक महिला को शिक्षित करके पूरे देश को शिक्षित किया जा सकता है। लड़कियों की शिक्षा की कमी ने समाज के शक्तिशाली भाग को कमजोर कर दिया है। इसलिए महिलाओं को शिक्षा का पूर्ण अधिकार होना चाहिए और उन्हें पुरुषों से कमजोर नहीं मानना चाहिए।

आर्थिक संकट के इस युग में लड़कियों के लिए शिक्षा एक वरदान है। आज के समय में एक मध्यवर्गीय परिवार की जरूरतों को पूरा करना वास्तव में कठिन है। शादी के बाद अगर एक शिक्षित लड़की काम करती है तो वह अपने पति के साथ परिवार के खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है। अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो वह काम करके पैसा कमा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वह लड़का हो या लड़की सभी के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। लेकिन हमारे समाज में अभी भी शिक्षा को लेकर लैंगिक भेदभाव किया जाता है जहां लड़कों की शिक्षा को तवज्जो दी जाती है वहीं लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है।

क. मानव अवैध व्यापार

मानव दुर्व्यापार बुनियादी मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले सबसे बड़े संगठित अपराधों में से एक है। मानव दुर्व्यापार यौन शोषण और कई अन्य रूपों के लिए हो सकता है, जिसमें जबरन श्रम आदि भी शामिल है। यह अपराध मुख्य रूप से गरीबी, अशिक्षा, आजीविका के विकल्पों की कमी आदि के कारण होता है। भारत दुर्व्यापार के लिए एक स्रोत है, एक गंतव्य और साथ ही एक पारगमन देश भी है। दुर्व्यापार का अधिकांशतः भाग देश के भीतर होता है, लेकिन बड़ी संख्या में पड़ोसी देशों और दूसरे देशों, खासकर मध्य पूर्व से तस्करी करने वाले लोग भी हैं।

वर्तमान में, मानव दुर्व्यापार के विषय को भारतीय दंड संहिता, 1860 और अनैतिक यातायात (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निपटाया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 370, 1860 केवल दुर्व्यापार के अपराध को परिभाषित और दंडित करती है और, जबकि, अनैतिक दुर्व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के प्रावधान वाणिज्यिक यौन शोषण के उद्देश्य से मानव दुर्व्यापार से संबंधित हैं और यह शारीरिक और अन्य प्रकार के शोषण के उद्देश्य से मानव दुर्व्यापार को मान्यता नहीं देता है

मौजूदा विधानों में उपरोक्त कमियों को ध्यान में रखते हुए और दुर्व्यापार के पीड़ितों की रोकथाम, बचाव और पुनर्वास से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के बाद, मानव दुर्व्यापार के सभी संबंधित पहलुओं को शामिल करते हुए एक व्यापक कानून अर्थात् मानव दुर्व्यापार (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 लाया जाना आवश्यक माना गया है।

दुर्व्यापार से लड़ने के लिए उज्ज्वला स्कीम

उज्ज्वला दुर्व्यापार से निपटने के लिए एक व्यापक स्कीम है। यह स्कीम वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों का दुर्व्यापार रोकने, पीड़ितों के बचाव को सुगम बनाने तथा उनको सुरक्षित अभिरक्षा

में रखने, बुनियादी सुविधाओं/आवश्यकताओं का प्रावधान करके पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने, परिवार एवं समाज में पीड़ितों के एकीकरण को सुगम बनाने, पीड़ितों के सीमा–पारीय प्रत्यर्पण को सुगम बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में शुरू की गई। यह स्कीम मुख्यतः गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। उज्ज्वला स्कीम के मानदंडों में दिनांक 01.04.2016 से संशोधन किए गए हैं। संशोधित मानदंडों के तहत बजटीय प्रावधान बढ़ा दिए गए हैं तथा स्कीम केंद्रीय प्रायोजित अम्ब्रेला स्कीम ''महिलाओं का संरक्षण एवं विकास'' की उप–स्कीम के रूप में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्राों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों तथा हिमालयी राज्यों छोड़कर, जहां यह 80:10:10 है, केंद्र, राज्य एवं कार्यान्वयन एजेंसी के बीच लागत हिस्सेदारी अनुपात 60:30:10 है। संघ राज्य क्षेत्राों में केंद्र तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच अनुपात 90:10 है।

पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

पुलिस बल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी ¯ चता का विषय बन गया है और मंत्राालय द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। ¯ हसा का सामना करने वाली महिला के लिए पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस उसके लिए प्राथमिक संपर्क है। पुलिस को महिला अधिकारों और लैंगिक न्याय के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। पुलिस अधिकारियों के रूप में काम करने वाली महिलाएं संकटपूर्ण परिस्थितियों में महिलाओं की बहुत मदद और सहायता कर सकती हैं।

मंत्राालय ने राज्य के मुख्यमंत्रिायों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ पुलिस बल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सलाह देकर इस मामले को दृढ़ता से उठाया है। कैबिनेट के एक निर्णय के माध्यम से, संघ राज्य क्षेत्राों को यह आरक्षण देने के लिए अधिदेशित किया गया है। गृह मंत्राालय ने भी 4 सितंबर, 2009 को सभी राज्य सरकारों को पुलिस में कुल तादाद का 33ः तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।

अब तक, 17 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रा यथा – आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, चंडीगढ़, दमन और दीव, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली, एनसीटी दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वारा पुलिस बलों में महिलाओं के लिए 33ः या अधिक आरक्षण बढ़ा दिया गया है।

ड. साइबर अपराध से लड़ना

महिलाओं और बच्चों पर हिसा करने के लिए साइबर स्पेस के प्रयोग के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए मंत्राालय ने साइबर अपराध के मुद्दे को समग्र ढंग से उठाया है। बाल यौन शोषण की सामग्री/चित्रा की आसानी से उपलब्धता के मुद्दे का समाधान के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्राालय की सदस्यता के साथ इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्राालय द्वारा एक अंतरमंत्राालयी समिति गठित की गई। इस समिति ने बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री के वितरण एवं पारेषण को रोकने के लिए देश के अंदर सभी इंटरनेट सेवाप्रदाताओं को परामर्शी जारी की है।

महिला और बाल विकास मंत्राालय के साथ विचार–विमर्श के बाद, गृह मंत्राालय ने निर्भया फंड की मदद से साइबर अपराध पोर्टल cybercrime.gov.in लॉन्च किया है। पोर्टल में नागरिकों से चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण सामग्री, यौन रूप से स्पष्ट सामग्री जैसे बलात्कार और सामूहिक बलात्कार से संबंधित आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। यह शिकायतकर्ताओं को उनकी पहचान का खुलासा किए बिना मामलों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत शिकायतों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्राों के पुलिस अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाएगा। शिकायतकर्ता पोर्टल पर रिपोर्ट को भी ट्रैक कर सकता है।

निर्भया कोष :

देश में महिलाओं के लिए संरक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली पहलों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2013 में निर्भया फंड नामक एक समखपत कोष की स्थापना की। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार के मंत्राालय/विभाग और राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रा के प्रशासण सार्वजनिक क्षेत्रा के भीतर उनके सेक्टर में महिला सुरक्षा के मुद्दों पर प्रस्ताव भेजते हैं।

मंत्राालय निर्भया फंड के तहत वित्त पोषित किए जाने वाले प्रस्तावों/योजना को लागू करने/अनुशंसा करने के लिए नोडल प्राधिकरण है। निर्भया फंड को वर्ष 2013–14 के दौरान 1000.00 करोड़ रुपये के गैर–व्यपगत योग्य कोष के साथ स्थापित किया गया था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2014–15, 2016–17, 2017–18 और 2018–19 में क्रमशः 1000.00 करोड़ रूपए, 550.00 करोड़ रूपए, 550.00 करोड़ रूपए और 500.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। निर्भया फंड के लिए 2018–19 तक सार्वजनिक खाते में हस्तांतरित धनराशि 3600.00 करोड़ रूपए है।

निर्भया फंड के तहत कई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिन्हें महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा के लिए मंत्राालय द्वारा मैनेज किया जाता है। निर्भया के तहत सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन को ट्रैक

करने के लिए एक मजबूत ऑनलाइन एमआईएस विकसित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 1431.26 करोड़ रूपए से अधिक की राशि के प्रस्तावों को मूल्यांकित किया गया है।

मंत्राालय स्वयं निर्भया फंड के तहत वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन और महिला पुलिस वालंटियर्स स्कीमों को लागू करता है जिनके बारे में उल्लेख पहले किया जा चुका है। अन्य मंत्राालय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रा भी इस फंड के तहत स्कीमें लागू करते हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क. आठ मैट्रो नगरों में सुरक्षित शहर परियोजना

आठ प्रमुख शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक केंद्रित परियोजना को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ को कवर करने के लिए निर्भया फंड (ईसी) की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कुल 2919.55 करोड़ रुपये के लिए मंजूरी दी गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्राालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्राालय के समर्थन से गृह मंत्राालय के माध्यम से सुरक्षित शहर परियोजनाओं को निष्पादित किया जा रहा है।

महिला के प्रति सोच

21वी सदी में भी कई लोग महिला की उपेक्षा (निरादर) करते है व उन्हें तुच्छ समझते है। इस सोच के पीछे का कारण यह है कि हमने अपने संस्कार, संस्कृति , शास्त्र आदि भुला दिए जिनमे महिला को लक्ष्मी, सरस्वती तथा काली का रूप बताया गया है अर्थात् महिला धन, विद्या तथा शक्ति तीनो प्राप्त अथवा ग्रहण कर सकती है। हमने कभी महिला के गुणों को कदर या पहचानने की कोशिश नहीं की। हमने यह नहीं समझा कि महिला मार्गदर्शन व परम मित्र की प्रतिमूर्ति है। महिला परिवार की कष्ट उठाकर निस्वार्थ सच्ची सेवा करने वाली है, माता के समान जीवन देने वाली अर्थात् रक्षा करने वाली है व धर्म के अनुकूल कार्य करने वाली है। महिला कठिन से कठिन परिस्थिति में भी परिवार की निस्वार्थ सेवा करती है लेकिन फिर भी हमारे समाज में महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नही मिलता, बालिकाओं की पढ़ाई लिखाई को गंभीरता से नहीं लिया जता है।

अशिक्षित होना इस सोच का दूसरा कारण है क्योंकि व्यक्ति कितना ही सुशील ,संस्कारी क्यों न हो अगर उसके पास शिक्षा नहीं है तो उसका व्यक्तित्व बड़ा नही हो सकता।

उपसंहार

महिला का स्थान प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। महिला को ही सृष्टि रचना का मूल आधार कहा गया है। महिलाएँ समाज का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग है क्योंकि विश्व की आधी जनसंख्या तकरीबन इन्हीं की है। महिलाएँ आज भी पूरी तरह सशक्त नहीं हुई हैं, इसका सबसे बड़ा कारण आए दिन होने वाली तमाम घटनाएँ हैं, जिसमें वे तरह–तरह की हिंसा का शिकार हो रही हैं। बाहर तो वे हिंसा का शिकार होती है साथ ही अपने परिवार के पुरुष और दूसरी महिला सदस्यो के द्वारा भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बाहर एवं घर परिवार मे हो रही हिंसा को मिटाए बिना समाज में महिला सशक्तिकरण का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता है। महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता उनको अपने अधिकारों एवं कर्तव्यो के प्रति सजग होने की है। यदि कोई महिला अपने अधिकारों एवं कर्तव्यो के प्रति सजग और आत्मनिर्भर है, तो उसका आत्मसम्मान अवश्य ऊँचा होगा और वे देश कि विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर सकता है, जब उसकी लगभग आधी आबादी जो कि महिलाओं की है, को आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक, शैक्षणिक व धार्मिक आदि समस्त क्षेत्रों में सशक्त किया जाए। अरस्तू के शब्दों में ''किसी भी राष्ट्र की स्त्रियों की उन्नति व अवनति पर ही उस राष्ट्र की उन्नति व अवनति निर्भर है। महिलाओं का समर्थ होना निरन्तर विकास की बुनियाद है। समर्थ होने पर ही महिलाएं अपने जीवन की सभी पहलुओं पर पूरा नियत्रंण पा सकती है। अतएव जब उनके जीवन और आजीविका के भौतिक आधार को सुदृढ नही किया जाता तब तक महिलाएं समर्थ नही हो सकेंगी। समाज के सन्दर्भ में नारी की स्थिति युगानुयुग परिवर्तनशील बनी रही है। नारी की महत्ता और गौरव एवं उसका वर्चस्व और गरिमा कभी उच्च से उच्चतर हो रही है, तो कभी उसमें ह्रास परिलक्षित होता है। एक सा स्वरूप उसका कभी नही रहा। आज नारी की जो सामाजिक और स्थिति है। 'कल' वैसी न थी, यह अन्य बात है, कि नारी अपनी विद्यमान अवस्था को अतीत की अपेक्षा उन्नत मानती है।

प्रत्येक रूप में नारी की भॉति भॉति की पात्रता अभिनीत करनी पड़ती है। चूंकि आज की नारी का कार्यक्षेत्र परिवार तक ही सीमित नही रह गया है। उसे अपने कार्यस्थल पर भी अनेक रूपों में अपना दायित्व भली–भॉति निर्वहन करना पड़ता है। इस प्रकार एक ही नारी को एक ही दिन में कई प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है। आजकल की कामकाजी नारी के रूप में अत्यधिक विस्तृत हो चुके है। अतः स्पष्ट है, कि नारी शक्तिरूपा है, जगत जननी है। नारी के संबध में यहा तक कहा गया है, कि उसमें पृथ्वी के समान क्षमा सूर्य के समान तेज, समुद्र के समान गंम्भीरता, चन्द्रमा के समान शीतलता एवं पर्वत के समान उच्चता के दर्शन होते है। अस्तु कहा जा सकता है कि युग चाहे जो भी हो संसार की तरक्की नारी के विकास पर ही आधारित है। समाज में जब तक नारी को उचित आदर प्राप्त नही होगा उसका

विकास सम्भव नहीं, उसके विचार में नारी को ऐसी स्थिति में लाना होगा जहां वह अपने समस्याओं को अपने तरीके से समाधान स्वंम कर सके और भारत की नारी ऐसा करने में उतनी ही समर्थ है। जितनी विश्व की अन्य देशों की महिलाएं। भारत में इंदरा गांधी और अहिल्याबाई जैसे निर्भिक नारी की परम्परा को जारी रखना होगा। नारी शिक्षा को विस्तार और धर्म को केन्द्रीय स्थान देकर इसका चरित्र निर्माण और बम्हचर्य रक्षा में दूर तक प्रभाव पडेगा।

शिक्षा महिला सशक्तिकरण में सबसे मुख्य भूमिका शिक्षा निभा सकती है। शिक्षा मनुष्य के आचार विचार व्यवहार सभी में परिवर्तन कर देती है। शिक्षा स्त्रियों के सर्वागीण विकास, समाज की चर्तुभुजी उन्नति और सभ्यता की बहुमुखी विविध क्षेत्रों में परिवर्तन कर देती है। शिक्षा महिला सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

1. रतिभानु सिंह नाहरः पूर्व – मध्ययुगीन सभ्यता और संस्कृति , पेज नंबर 683, 685 ।
2. वी. डी. शुक्लाः पूर्व – मध्यकालीन संस्कृति और जीवन , पृ . 304 और पी . 309
3. वासुदेवशरण अग्रवालः भारतीय संस्कृति , पृष्ठ 96 और पृष्ठ 98
4. डॉ एस कपूरः भारत में पुनर्जागरण , पृष्ठ सँख्या 36 , 37 ।
5. कालीशंकर भटनागरः भारतीय संस्कृति का इतिहास, पृष्ठ सँख्या 38, 301 , 308 ।
6. पी. वी. केनः धर्मशास्त्र का इतिहास , भाग – 1,
7. महिला स्वतंत्र – मनुस्मृति – 4 ६ 3
8. त्रिपाठी, कुसुम, महिलाओं की दशा और दिशा। कुरुक्षेत्र। अंक , मार्च 2010 ।
9. महला, अरविंद और सुरेंद्र कटारिया – भारत में महिला सशक्तिकरणः प्रयास और बाधाएँ , मलिक एंड कंपनी। जयपुर। 2013. पी। 262 ।

10. दिनकर, रामधारी सिंह। संस्कृति के चार अध्याय विमल कुमार, रामधारी सिंह दिनकर की रचना। द्विवेदी, कपिल देव, वैदिक साहित्य और संस्कृति

11. गोयल , प्रीतिप्रभा , भारतीय विरासत वैदिक साहित्य और संस्कृति , पृष्ठ सँख्या 257–58

12. कुमार, कमलेश भारत की आदिवासी महिलाएं , कुरुक्षेत्र , 23 मार्च 2007, पृष्ठ सँख्या 23 ।

13. पांडेय, प्रबंधक भारतीय समाज में प्रतिरोध की परंपरा , नई दिल्ली , 2013. पी। 9

14. लेम्बी आरएच , सामाजिक संगठन लंदन , रैटलेज 1950

15. ऑल्टकर ए . एस . , प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति , संशोधित संस्करण 196.

16. विद्यालंकार सत्यकेतु , प्राचीन भारत का धार्मिक , सामाजिक और आर्थिक जीवन

17. अत्रि स्मृति , 4.140.41

18. पांडा प्रमोदिनी , वेद कालिन नारी शिक्षा, ओरिएंटल बुक सेंटर, दिल्ली।

19. रावत, प्यारे लाल (1975)–प्राचीन और भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगराः भारत पब्लिकेषन्स।

20. गुप्ता, ,स0पी0 तथा अल्का गुप्ता, (2008)– भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास ,वं समस्यायेंः इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन।